Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 04/2023

Tallu Soren @ Tallu Manjhi ..... Appellant.

Versus

Md. Aslam & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा BLDR वाद सं0–16/2022–23 में दिनांक–02.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल–फलका, थाना सं0–57, मौजा–गिरियामा, खाता सं0–45, खेसरा सं0–474, रकवा–15 डी0 विवादित भूमि है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र नारायण झा के नाम से खतियान दर्ज है। उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिशान संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय पिता–दिगंबर अक्षय उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए लगान भुगतान करते रहे। उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय से प्रश्नगत भूमि को विक्रय संलेख सं0–12656 द्वारा दिनांक–04.09.2017 के माध्यम से क्रय करते हुए दखलकार होकर नामांतरण पश्चात् भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। निम्न न्यायालय के वादी का कथन है कि अपीलार्थियों द्वारा इनके दखल–कब्जे में व्यवधान किये जाने के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष धारा 144 की कार्रवाई प्रारंभ की गई। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनते हुए दिनांक–02.01.2023 को अंचलाधिकारी, फलका को सीमांकन कराते हुए उत्तरवादी को दखल–कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने का बिना कोई अवसर प्रदान किये एक–पक्षीय आदेश पारित किया गया है। यह सही है कि प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र नारायण झा के नाम खतियान दर्ज है। जिसके अभ्युक्ति कॉलम में बकब्जा दुःखा माँझी शिकमी खाता सं0–22 अंकित है। अपीलार्थी शिकमीदार के वारिशान हैं। अपीलार्थी अपने पूर्वजों के काल से ही प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहते हुए इस पर अपना घर बनाकर निवास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उत्तरवादी द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में जिला	

Web Copy Not Official.

		पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–06 दिनांक–06.01.2022 में उल्लेख है कि उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि के दखलकार नहीं हैं बल्कि अपीलार्थी दखलकार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा खतियानी शिकमीदार को बेदखल करने का आदेश पारित क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	करना सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा इनके कथनों का समर्थन किया गया है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। यह सही है कि प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र नारायण झा के नाम खतियान दर्ज है। पारिवारिक बँटवारे में उक्त भूमि चन्द्र नारायण झा के खास हिस्से में प्राप्त हुई। जिसपर ये दखलकार हुए। चंद्र नारायण झा के द्वारा प्रश्नगत भूमि संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय के पास विक्रय संलेख सं0–11110 दिनांक–14.06.2012 द्वारा बिक्री की गई। क्रेता के पक्ष में जमाबंदी सं0–1341 दर्ज है तथा ये भू–लगान भुगतान करते रहे। संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय द्वारा वर्ष 2017 में उक्त भूमि उत्तरवादी सं0–01 के पास बिक्री कर दी गई। उत्तरवादी द्वारा क्रय करने के पश्चात् अंचल कार्यालय, फलका में नामांतरण वाद सं0–1508/2017–18 दायर किया गया जिसमें सम्यक् जाँचोपरांत इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज हुई तथा ये भू–लगान भुगतान करते रहे। जीविकोपार्जन हेतु उत्तरवादी सं0–01 के दिल्ली चले जाने के कारण इनकी अनुपस्थिति में अपीलार्थी ने उत्तरवादी सं0–02 एवं कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खतियानी शिकमीदार दुःखा माँझी के वारिशान होने के आधार पर दावा किया जाने लगा। वस्तुतः उक्त भूमि का स्वरूप गड्ढ़ा है जिसमें प्रायः पानी भरा रहता है। जिसके कारण दुःखा माँझी कभी नहीं उक्त भूमि को जोत–आबाद किया। उल्लेखनीय है कि दुःखा माँझी निःसंतान गुजर गये एवं उनके जीवनकाल में ही खतियानी रैयत उपेन्द्र नारायण झा उक्त भूमि पर दखलकार रहे। जिनकी मृत्यु पश्चात् उसपर उनके वारिशान का दखल–कब्जा हुआ। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0–02 दुःखा माँझी के वारिशान नहीं हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उक्त भूमि क्रय करने की नियत से इन्हें परेशान किया जाने लगा। फलतः इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करना पड़ा। जिसमें अपीलार्थी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये हैं। निम्न न्यायालय में अंचलाधिकारी, फलका ने पत्रांक–2117 दिनांक–06.12.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई करते हुए एवं अंचलाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समुचित आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र नारायण झा पिता–वासुदेव झा की खतियानी भूमि है।	

Web Copy. Not Official.

		खानगी बँटवारे में उक्त भूमि चन्द्रनारायण झा के खास हिस्से में प्राप्त हुई जिसे उन्होंने वर्ष 2012 में संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय के पास बिक्री कर दी जिनके नाम जमाबंदी कायम हुई। संजीव अक्षय एवं राजीव अक्षय द्वारा वर्ष 2017 में प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के पास बिक्री करते हुए दखल प्रदान किया गया। नामांतरण वाद सं0–1508/2017 द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में उक्त भूमि की जमाबंदी सं0–1341 दर्ज है तथा भू–लगान रसीद निर्गत है। इसकी पुष्टि अंचलाधिकारी, फलका द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन से भी होती क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी उक्त भूमि के वैद्य क्रेता हैं। निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी को अवैध दखलकार पाया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.